**स्पाइसेस बोर्ड**

**(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)**

**"सुगंधभवन", एन एच बाई पास, पी बी नं. 2277**

**पालारिवट्टम पी ओ, कोचीन-682025**

**फोन: 0484-2333610 से 16 तक, 2347965**

<u>स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता के रूप में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को काम में लगाना</u>

स्पाइसेस बोर्ड, केंद्रीय सरकारी संस्थाएं नामतः विभागों/सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/वस्तु बोर्डों से सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी, जिन्होंने सहायक या अनुभाग अधिकारी के स्तर पर सेवा की है, उनसे छह महीनों की अवधि केलिए, परामर्शदाता के रूप में काम में लगाने हेतु, आवेदन आमंत्रित करता है। परामर्शदाताओं को स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय, कोच्ची में तैनात किया जाएगा। परामर्शदाताओं को काम में लगाने के विस्तृत निबंधन व शर्तें, अनुबंध-1 के रूप में संलग्न हैं। पात्रता मानदंड एवं अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अपेक्षित परामर्शदाता | 5 नग |
| 2 | पात्रता | 1. सेवानिवृत्त पदाधिकारी को, प्रशासन/लेखाकरण/कानूनी मामले/जन-संपर्क में पर्याप्त अनुभव (अनुबंध-2 में अपेक्षित अनुभव का विवरण संलग्न किया गया है) के साथ केंद्रीय सरकारी संस्थाओं, नामतः विभागों/सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों/वस्तु बोर्डों से सहायक [4200/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित पूर्व-संशोधित वेतनमान के समतुल्य वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6] या अनुभाग अधिकारी [4600/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित पूर्व-संशोधित वेतनमान के समतुल्य वेतन मेट्रिक्स के लेवल 7] के स्तर का होना चाहिए<br>2. विषयों की गंभीरता से परीक्षा के लिए उनके पास अच्छी सूझ-बूझ के साथ प्रभावी संप्रेषण और अंतर-वैयक्तिक कौशल होना चाहिए<br>3. उन्हें एम एस ऑफिस/ऑपन ऑफिस, इ-मेइल व इंटरनेट सहित कंप्यूटर में काम करने का अनुभव होना चाहिए |
| 3 | शैक्षिक योग्यता | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री |
| 4 | आयु सीमा | जैसेकि 31-07-2019 को है, 65 वर्ष से कम हो। |
| 5 | असाइनमेंट का स्थान | स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय, कोच्ची |
| 6 | पारिश्रमिक | प्रति माह 30,000/- रुपए |

**चयन का तरीका :** शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया जाएगा और बोर्ड की अपेक्षा के अनुसार परामर्शदाता के रूप में काम में लगाया जाएगा। पैनल की वैधता दो वर्षों केलिए होगी और अतिरिक्त रूप से अपेक्षित परामर्शदाता को अनुमोदित पैनल से रखा जाएगा ।

तत्पर सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी जिनको उपरोक्त योग्यता और अनुभव हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, तथा जो तुरंत कार्यभार ग्रहण करने को तैयार हैं, वे, दिए गए फॉर्मेट (अनुबंध III के रूप में संलग्न) में, योग्यता और अनुभव के समर्थन में संगत दस्तावेजों के साथ, 27.08.2019 को या उससे पहले hrdatp.sb-ker@gov.in में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची को 06-09-2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर सकते हैं।

**सचिव**

दिनांक: 07-08-2019

**अनुबंध-1**

## स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता को काम में लगाने हेतु निबंधन व शर्तें

1. प्रतिमाह देय पारिश्रमिक 30,000/- रुपए(नियत) होगा। कुल मासिक पारिश्रमिक और परामर्शदाता द्वारा ली गई पेंशन, उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन, जिसकी गणना महंगाई भत्ते की वर्तमान दरों पर की गई हो, से अधिक नहीं होगी।
2. काम में लगाने की अवधि प्रारंभ में छह महीनों केलिए होगी और उनके निष्पादन के आधार पर अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।
3. परामर्शदाता, महंगाई भत्ता, परिवहन सुविधा, आवासीय व्यवस्था, निजी स्टाफ, सीजीएचएस तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे किसी भी प्रकार के भत्ते या आवास-सुविधा प्राप्त होने के हकदार नहीं होंगे।
4. साक्षात्कार, असाइनमेंट में शामिल होने या इसके पूरा होने के लिए कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता ग्राह्य नहीं होगा।। फिरभी, यदि बोर्ड के कार्यालयीन काम के सिलसिले में, उन्हें देश के अंदर यात्रा करने की आवश्यकता होगी तो, जिस ग्रेड से वे सेवानिवृत्त हुए थे, उसी ग्रेड के नियमित पदाधिकारी केलिए ग्राह्य यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भुगतान किया जाएगा।
5. कार्य समय: परामर्शदाता निर्धारितानुसार कार्यालय के साधारण कार्य समय का अनुसरण करेगा (अर्थात् सुबह 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक)। वैसे, तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार, उनको समयबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए शनिवार और कार्यालय समय के बाद भी काम करना पड़ सकता है।
6. पेंशन का आहरण: परामर्शदाता के रूप में नियुक्त एक सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी, परामर्शदाता के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान पेंशन और पेंशन पर महंगाई राहत आहरित करना जारी रखेगा। परामर्शदाता के रूप में उसकी नियुक्ति को पुनर्नियोजन के मामले के रूप में नहीं माना जाएगा।
7. अवकाश: परामर्शदाता एक कलेंडर वर्ष यथानुपात आधार पर, आठ(08) दिनों के अवकाश केलिए पात्र होंगे। परामर्शदाताओं को अनुमेय अवकाश की अधिकता में अनुपस्थिति की अवधि केलिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, अनुपयुक्त अवकाश को न अगले वर्ष केलिए अग्रेनीत किया जाएगा, न ही उसका नकदीकरण किया जाएगा।
8. स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस): ग्राह्य के अनुसार, टीडीएस को परामर्शदाता के मासिक पारिश्रमिक से काट दिया जाएगा। मांग करने पर, बोर्ड द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

9. परामर्श-कार्य की अवधि के दौरान, पदाधिकारी को, समय-समय पर, बोर्ड द्वारा सौंपे गए, बोर्ड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्य-मदों को देखना अपेक्षित है।
10. स्पाइसेस बोर्ड के साथ उनके कार्य की अवधि के दौरान और उसके बाद भी, यह संभावना है कि वे महत्वपूर्ण / गोपनीय प्रकृति की कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने असाइनमेंट की अवधि के दौरान उनके द्वारा एकत्रित की गई किसी भी जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति से प्रकट नहीं करेंगे, जो उसे जानने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है।
11. स्पाइसेस बोर्ड, जरूरत पड़ने पर, कोई नोटिस जारी किए बिना या कोई कारण बताए बिना, चयन प्रक्रिया को संशोधित / परिवर्तित / प्रतिबंधित / बढ़ाने / रद्द करने का अधिकार रखता है। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इस मुद्दे के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

**नियुक्ति की समाप्ति**

स्पाइसेस बोर्ड निम्नलिखित शर्तों पर परामर्शदाता की नियुक्ति समाप्त करेगा :

(i) परामर्शदाता निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने में असमर्थ है;
(ii) कार्य की गुणवत्ता, बोर्ड की संतुष्टि के बराबर नहीं है।
(iii) बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार लक्ष्यों की समयबद्ध उपलब्धि में परामर्शदाता विफल रहता है;
(iv) परामर्शदाता में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी पाई जाती है।

नोट: बोर्ड, परामर्शदाता को पंद्रह दिनों की लिखित सूचना प्रदान करते हुए नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार रखता है। यह समाप्ति, ऐसी सूचना की सुपुर्दगी के पंद्रह (15) दिनों के पूरा होने के बाद ठीक अगले दिन से प्रभावी होगी।

अनुबंध-3

**अपेक्षित अनुभव का विवरण**

| क्रम सं. | स्थान | रिक्ति सं. | अपेक्षित अनुभव | असाइनमेंट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | परामर्शदाता-सहायक | 01 | प्रशासन मामलों में अनुभव | सेवा मामले व भर्ती |
| 2 | परामर्शदाता-सहायक | 02 | लेखाकरण में अनुभव | विभिन्न शीर्षों के अधीन खाते की शेष राशि का समाधान। खातों का संकलन और वित्तीय विवरण की तैयारी |
| 3 | परामर्शदाता-सहायक | 01 | कानूनी मामलों में अनुभव | कानूनी मामलों को संभालना, कानूनी मुद्दों की पहचान करना, कानूनी दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना आदि। |
| 4 | परामर्शदाता-सहायक | 01 | जन-संपर्क में अनुभव | लोगों तक विशेष पहुँच और मीडिया संबंध की योजना और निष्पादन तथा सामूहिक माध्यमों में बोर्ड की मौजूदगी को संभालना |

Annexure-III

Application Form

Engaging as Consultant in the Spices Board (Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce)

Affix recent passport size photograph

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Name of the position applied for (please ✓ the position applied) | Consultant- Assistant<br><br>1. Administration ☐<br>2. Accounts ☐<br>3. Legal Matters ☐<br>4. Public Relations ☐ | |
| 2 | Full Name (In block letters) | | |
| 3 | Father's/Husband's Name | | |
| 4 | Date of Birth | | |
| 5 | Contact details | Mobile No /Tel No | |
| | | Email ID | |
| 6 | Address for communication | | |
| | | Pin code | |
| 7 | Age as on 31.07.2019 | | |
| 8 | Date of joining of Government service | | |
| 9 | Date of retirement | | |
| 10 | Designation and office from which retired | | |
| 11 | Last Pay drawn | | |
| 12 | PPO No.(Please attach copy of PPO) | | |
| 13 | Monthly Pension | | |
| 14 | Educational qualification (enclose copy of self attested copy of certificates) | | |
| 15 | Details of computer knowledge | | |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | Brief particulars of experience in the format below in a separate sheet(Please attach supporting documents) | |

| Sl.No. | Designation and office in which service rendered | Department/ Section | Period | | Nature of work | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | From | To | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

I hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand and agree that in the event of any information given above found false or incorrect/incomplete or ineligibility being detected at any time before or after the selection/interview, my candidature is liable to be rejected and I shall be bound by the decision of the Spices Board. I have read all the terms and conditions above and I am ready to accept all the terms and conditions for engagement of Consultants.

Signature

( Full name of the applicant)

Place:
Date: